

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती स्वाति गुप्ता, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, खेमपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, जोश्यूडा जनपद-चम्पावत	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1199 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, केलाखेड़ा-ऊधमसिंहनगर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, खेतीखान-चम्पावत।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री योगेश पन्त, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, लामाचौड़ जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केन्द्र, चौसला जनपद-नैनीताल	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1200 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, फतेहपुर-नैनीताल।
3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आवेष्ट :-

उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या 100730/XXX(2)/1-33000 वार्षिक एवं सतर्कता अनुपात-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या 221270/XXX(2)/2024/1-33000 वार्षिक एवं सतर्कता अनुपात-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण शत, 2024 के हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संशुद्धि के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सामूख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सूच्य से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्गिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अव्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार सिरोही, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, चन्दनपुरा जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, दूनागिरी जनपद-अल्मोड़ा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्गिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्रावधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1202

/स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-

सम्बन्धित कार्गिक को परिपालनार्थ।

पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, केलाखेड़ा-ऊधमसिंहनगर।

वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, द्वाराहाट-अल्मोड़ा।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।

मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।

निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सविता सैनी, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, मैनाझुण्डी जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, कुंवाली जनपद-अल्मोड़ा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1203 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, मजखाली-अल्मोड़ा।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, सितारगंज-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भास्कर लाल, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, बलखेड़ा जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, जंगलियागांव जनपद-नैनीताल	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1204 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, नानकमत्ता-ऊधमसिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, भीमताल-नैनीताल।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री धर्मेन्द्र वर्मा, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, तिलियापुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, आदिग्राम फुलरिया, जनपद-अल्मोड़ा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1205 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
1- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, शक्तिफार्म-ऊधमसिंहनगर।
2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, मासी-अल्मोड़ा।
3- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
6-

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी	"द" श्रेणी, पशु औषधालय, गुलरमोज-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, होराली जनपद-बागेश्वर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1206 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, आदर्शनगर-ऊधमसिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, कपकोट-बागेश्वर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री चन्द्रपाल वर्मा, पशुधन प्रसार अधिकारी	"द" श्रेणी, पशु औषधालय, नौसर-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, गुरना जनपद-पिथौरागढ़	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1207 /स्था०-01/वा०स्था०-10-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, खटीमा-ऊधमसिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु गण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार जायसवाल, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, गंगापुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, बनकोट जनपद-पिथौरागढ़	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1208 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, रामेश्वरपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, गणार्ई-पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मीनाक्षी टम्टा, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, चितई जनपद-अल्मोड़ा	पशु सेवा केन्द्र, लोधिया जनपद-अल्मोड़ा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1209 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।

2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, एन०टी०डी०-अल्मोड़ा।

3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, अल्मोड़ा।

4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।

5- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ गण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शारानादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शारानादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण रात्र, 2024-25 हेतु गण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ गण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालग-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भुवन चन्द्र जोशी, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, गुरना जनपद-पिथौरागढ़	पशु सेवा केन्द्र, चौकुनी जनपद-अल्मोड़ा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1210 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, पिथौरागढ़।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, रानीखेत-अल्मोड़ा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अमित कुमार जोशी, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, धनियाकोट जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केन्द्र, दौलाबाजपुर जनपद-नैनीताल	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1211

/स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, खैरना-नैनीताल।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, चोरगलिया-नैनीताल।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हरद्वारी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) के निहित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/111(2)/1-32181, कार्मिक एवं प्रवर्तन कानून-1 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/111(2)/2024/1-32181, कार्मिक एवं प्रवर्तन कानून-1 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर निहित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुपालन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अव्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विजेन्द्र कुमार, पशुघन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केंद्र, सिनीली जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केंद्र, मंडिकामण्डर जनपद-अल्मोड़ा	अव्युक्ति

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्रावधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यरत होकर सम्बन्धित नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1212

/स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाई हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, जैती-अल्मोड़ा।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, रामगढ़-नैनीताल।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 5- मुख्य कौषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

हस्ताक्षर
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विनीत चन्द्र पन्त, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, बबियाड़ जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केन्द्र, बनलेख जनपद-बागेश्वर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1213 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, धारी-नैनीताल।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बागेश्वर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती विनीता मेहता, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, चौसला जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केन्द्र, लामाचौड़ जनपद-नैनीताल	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1214 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

- प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
 - 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, फतेहपुर-नैनीताल।
 - 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
 - 4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
 - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डा० तेजेन्द्र सिंह राणा, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, होराली जनपद-बागेश्वर	"द" श्रेणी पशु औषधालय गुलरमोज-ऊधमसिंहनगर	जनाहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से निवृत्तानुसार कार्यमुक्त होकर सत्तनय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह/—
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1215 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०आ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, आदर्शनगर-ऊधमसिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, कपकोट-बागेश्वर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सुषमा जोशी, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, लोधिया जनपद-अल्मोड़ा	अश्व केन्द्र, कालाढूंगी जनपद-नैनीताल	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1216 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, कालाढूंगी-नैनीताल।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री चन्द्र प्रकाश, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, बिनतोला जनपद-अल्मोड़ा	पशु सेवा केन्द्र, आनन्दपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1217 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

- प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, एन०टी०डी०-अल्मोड़ा।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, रामेश्वरपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंहनगर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश्वर राम, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, रसैपाटा जनपद-पिथौरागढ़	पशु सेवा केन्द्र, भगवानपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	अनुरोध के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1218

/स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, कनालीछीना-पिथौरागढ़।
- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, रूद्रपुर-ऊधमसिंहनगर।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर।
- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अरविन्द कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, मौनपोखरी जनपद-चम्पावत	पशु सेवा केन्द्र, गिद्धपुरी जनपद-ऊधमसिंहनगर	अनुरोध के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्रावधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1219 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, किच्छा-ऊधमसिंहनगर।
- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, चम्पावत।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शिवम वर्मा, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, आदिग्राम फुलेरिया, जनपद-अल्मोड़ा	पशु सेवा केन्द्र, फतेहगंज जनपद-ऊधमसिंहनगर	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1220

/स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, मासी-अल्मोड़ा।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, गदरपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंहनगर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विवेक शर्मा, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, कैथुलिया जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, बलखेड़ा जनपद-ऊधमसिंहनगर	अनुरोध के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1221 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, नानकमत्ता-ऊधमसिंहनगर।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रदीप कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, महेशपुरा जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, खेमपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	अनुरोध के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1222 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, सुल्तानपुरपट्टी/केलाखेड़ा-ऊधमसिंहनगर।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुमाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुमाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कवीर सिंह धामी, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, सिर्दांग जनपद-पिथौरागढ़	पशु सेवा केन्द्र, रॉथी जनपद-पिथौरागढ़	अनुरोध के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1223 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, धारचूला-पिथौरागढ़।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, उल्हानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक शेतकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शारानादेश संख्या: 100730/XXX(2)/1-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शारानादेश संख्या: 221270/XXX(2)/2024/1-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 को अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सामुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुसोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रमा आर्या, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, बजयूडा जनपद-पिथौरागढ़	पशु सेवा केन्द्र, पिल्खी जनपद-पिथौरागढ़	अनुसोध के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुसोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1224 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, गंगोलीहाट-पिथौरागढ़।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु गण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शैलेन्द्र सिंह बिष्ट, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, बनकोट जनपद-पिथौरागढ़	पशु सेवा केन्द्र, भैसियाछाना जनपद-अल्मोड़ा	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1225 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, गणार्ई-पिथौरागढ़।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, धौलछीना-अल्मोड़ा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नेहा जलाल, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, जखेड़ा जनपद-बागेश्वर	सघन कुक्कुट विकास, मुख्यालय, नैनीताल	अनुरोध के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

H0/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1232 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, गरुड़-बागेश्वर।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भैरवदत्त, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, चौनलिया जनपद-अल्मोड़ा	पशु सेवा केन्द्र, कालाखेत जनपद-नैनीताल	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1233 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, भिकियासैण-अल्मोड़ा।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बेतालघाट-नैनीताल।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हर्षवर्धन, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, पिलखोली जनपद-अल्मोड़ा	पशु सेवा केन्द्र, खिरखेत जनपद-अल्मोड़ा	अनुरोध के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1234 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25, दिनांक 31-07-2024
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, रानीखेत-अल्मोड़ा।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ गण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु गण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ गण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश सिंह कार्की, पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु सेवा केन्द्र, चौरा जनपद-बागेश्वर	पशु सेवा केन्द्र, खेड़ा जनपद-नैनीताल	अनुरोध के आधार पर (दिनांक 31-12-2024 को रिक्त होने वाले पद पर निर्गत आदेश लागू होगा)

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्रावधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

पत्रांक 1235 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2024-25,

दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, कुंवरपुर-नैनीताल।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बागेश्वर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

